न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 692/2025

रेखाराम पुत्र वीरमाजी
बनाम
मांगीलाल पुत्र पुनमाजी वगैरा

दिनांक 22.12.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा (जालोर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 –प्रार्थी–मांगीलाल ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बागोड़ा स्थित ग्राम सेवड़ी वं; खसरा नम्बर 1170/1606 रकबा 0.10 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि के दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थी सं0 1 के खातेदारी ख0नं0 1170 रकबा 3.37 है0 के मध्य सीमांकन व पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 पत्र किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित, बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट ने वर्ष 1977 में जरिये रजिस्टर्ड बेचान ख0नं0 304 मी. रकबा 10.11 बीघा एवं ख0नं0 304/1 रकबा 10.10 बीघा खरीद कर भौतिक कब्जा प्राप्त किया एवं बाद जांच इसका नामान्तरकरण संख्या 476 व 477 स्वीकृत किया गया। उक्त खसरान के नवीन ख0नं0 1170 रकबा 3.74 सृजित किए गये, हालांकि कॉलम संख्या 25 में 1170/1606 रकबा 0.10 बीघा फलदार वृक्षों का विवरण दर्ज किया गया है, जो बिना किसी आदेश/निर्णय प्रतिवादी–मांगीलाल के खाते में अविधिक रूप से दर्ज होने से गलत है। प्रथम सेटलमेंट से इस पर वादी का कब्जा निरंतर, बिना बाधा के चला आ रहा है तथा वादी का खातेदारी घोषणा का वाद, नक्शा दुरूस्ती व स्थाई निशेधाज्ञा का वाद भी विचाराधीन है। ख0नं0 1170/1606 की भूमि ख0नं0 1170 के साथ एक चक में मिलीभुत है जिस पर पुरानी माठ व सीमा चिन्ह कायम है। रेस्पो0–प्रार्थी आपसी मिलीभगत से अपीलांट की भूमि हडपना चाहता है, जबकि उसकी भूमि ख0नं0 1171 है। उक्त सभी

तथ्यों का उल्लेख अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना में प्रस्तुत किया गया था, किंतु इन पर गौर फरमाए बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिसमें अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही आदेश में मौका स्थिति का विवेचन किया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1–अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादग्रस्त ख0नं0 1170/1606 रकबा 0.10 है0 बाबत भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल संवत् 1989–2009, खसरा सरबराक संवत् 2031 सन् 1982, जमाबंदी संवत् 2022–25, 2033–36 व पर्चा लगान की प्रतियां प्रस्तुत कर आग्रह किया कि वादग्रस्त खसरान की भूमि वक्त सेटलमेंट गत ख0नं0 303 मी. अपीलांट के पिता पूनमा पुत्र वधा कौम नाई सा0दे0 खातेदार के नाम से दर्ज थी, मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत ख0नं0 303 मी. से हाल ख0नं0 1170/1606 सृजित हुआ है। जिसका रिसेटलमेंट में पर्चा लगान मांगीलाल पुत्र पुनमा जाति नाई सा0दे0 खातेदार के नाम से जारी किया हुआ है। फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 10.7.16 के अनुसार मौजा सेवड़ी, प्रार्थी के खेत ख0नं0 1170/1606 व 1171 के मोमीट्रेस नक्शा अनुसार पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाया गया। मौके पर वादग्रस्त ख0नं0 1170/1606 तथा ख0नं0 1170 की बीच माठ मौजूद नही होना, दोनो खसरे अलग–अलग खातेदारी के होना व ख0नं0 1170/1606 को मौके पर ख0नं0 1170 में मिलाया हुआ होने का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं0 1–अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके खण्डन में रेस्पो0 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थी–अप्रार्थी के अधिवक्ताओं की बहस उपरांत आदेश पारित किया गया। स्वयं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के सलंग्न भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल, ग्राम सेवड़ी, तहसील भीनमाल, संवत् 1989–2009 के अनुसार (अपीलांट का) ख0नं0 1170 गत ख0नं0 304 से सृजित हुआ है तथा इसी में (रेस्पो का) ख0नं0 1170/1606 गत ख0नं0 303 मी. से सृजित हुआ है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर, अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिकाओं के अनुसार अपीलाधीन आदेश, वादग्रस्त खसरान की बाद सीमाज्ञान रिपोर्ट तथा उभय पक्ष की बहस के उपरांत पारित किया गया है, इससे अपीलांट का यह

रेवन्यू अपीलीय आयुक्त
जोधपुर

कथन साबित नही है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें सुनवाई का अवसर नही मिला। इसके अलावा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षैत्रफल में ग्राम सेवड़ी, तहसील भीनमाल, के ख0नं0 1170 (अपीलांट) गत ख0नं0 304 से तथा ख0नं0 1170/1606 (रेस्पो0) गत ख0नं0 303 मी. से सृजित होने का उल्लेख है। वादग्रस्त ख0नं0 1170/1606 रकबा 0.10 है0 वक्त सेटलमेंट रेस्पो0–प्रार्थी के पिता पूनामा पुत्र वधा कौम नाई के नाम दर्ज रहा है। अतः इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बागोडा (जालोर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 19/2018 बअनवान मांगीलाल बनाम रेखाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 22.12.25. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

22/12/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर